राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 824/2009

निरंजन लाल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, डॉ. राधा कृष्ण शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर (राज.)।
2. श्री नरोत्तम लाल शर्मा पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, संस्कृत अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, Ghasi Khirana, जिला धौलपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.09.2009
आदेश की दिनांक : 10.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.08.2009 (अनुलग्नक–11) को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिए जावे कि अपीलार्थी को संस्कृत अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर विचार करते हुए पदोन्नति दी जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति संस्कृत अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 29.10.1994 (अनुलग्नक–6) के द्वारा की गई एवं आदेश दिनांक 01.02.1995 (अनुलग्नक–7) द्वारा नियुक्ति तिथी 02.03.1993 से प्रभावी की गई। विभाग द्वारा संस्कृत अध्यापक ग्रेड तृतीय की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2006 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1477 पर अंकित था और दिनांक 01.04.2007 को विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक–9) जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम 1305 पर अंकित किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 2

का नाम क्रम संख्या 1306 पर अंकित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता में संस्कृत विषय है और संस्कृत विषय से स्नातक उत्तीर्ण किया है तथा नेशनल इंस्टीट्युट ऑफ संस्कृत से बीएड शिक्षा शास्त्री योग्यता अर्जित की है। विभाग द्वारा संस्कृत अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद की डीपीसी वर्ष 2007–08 के विरूद्ध आयोजित करते समय अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 18.02.2009 को एक अभ्यावेदन दिया, परंतु उस पर कोई विचार नहीं करते हुए विभाग द्वारा डीपीसी के माध्यम से उससे कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 को आदेश दिनांक 13.08.2009 के द्वारा संस्कृत अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी की अभ्यर्थिता पर पदोन्नति हेतु कोई विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1260/2000 नाथूलाल दरिया बनाम संस्कृत शिक्षा विभाग में पारित आदेश दिनाक 14.11.2002 में ऐसे योग्यताधारी कार्मिकों की पदोन्नति हेतु विचार करने का आदेश फरमाया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.08.2009 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिए जावे कि अपीलार्थी को संस्कृत अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर विचार करते हुए पदोन्नति दी जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी शैक्षणिक योग्यता बीए एवं शिक्षा शास्त्री है और संशोधित अधिसूचना दिनांक 10.06.2008 के अंतर्गत पदोन्नति की योग्यता शास्त्रीय व शिक्षा शास्त्री व शिक्षा में डिग्री साथ ही अध्यापक ग्रेड तृतीय श्रेणी संस्कृत के पद पर 5 वर्ष के अध्यापन का अनुभव आवश्यक है और अपीलार्थी की पदोन्नति हेतु उक्त पात्रता नहीं रखता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति संस्कृत अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 29.10.1994 के द्वारा दी गई। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 01.02.1995 द्वारा नियुक्ति

दिनांक 02.03.1993 से मानी गई। विभाग द्वारा संस्कृत अध्यापक ग्रेड तृतीय की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2007 को विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम 1305 पर अंकित किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम क्रम संख्या 1306 पर अंकित किया गया, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है। जहां तक अपीलार्थी को संस्कृत अध्यापक द्वितीय के पद पर रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान किए जाने एवं अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत के पद पर 5 वर्ष का अनुभव एवं योग्यता नहीं रखने के आधार पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है। अनुलग्नक–5 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने शिक्षा शास्त्री बी.एड. दिनांक 19.08.1991 को उत्तीर्ण की है और उसकी अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत के पद पर नियुक्ति वर्ष 1993 की गई है और अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद के लिए रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसमें अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत के पद के अध्यापन का अनुभव 5 वर्ष आवश्यक है। जबकि अपीलार्थी लगभग 14 वर्ष का अनुभव रखता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार अपीलार्थी सेवा नियमों में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 10.06.2008 में निर्धारित पदोन्नति की पात्रता धारित नहीं करता है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेवा नियमों में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता जब तक कि इस संबंध में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं हो। अपीलार्थी ने वर्ष 2007–08 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अनुतोष चाहा है एवं सेवा नियमों में संशोधन दिनांक 10.06.2008 को अधिसूचित हुए हैं। अतः किसी भी दशा में दिनांक 10.06.2008 के संशोधनों को वर्ष 2007–08 की रिक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार के प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 986/2015 (एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7274/2014) भुवनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में एवं अन्य 7 प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 जिसमें निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"In view of the above discussion, present appeals deserve to succeed and the same are hereby allow. Impugned judgement dated 25.08.2015 passed by learned Single Judge is setaside and the judgement*

dated 08.11.2013 passed by the Tribunal is restored. The appellants are held entitled to all the consequential benefits. Compliance of the judgements of the Tribunal shall now be made by the respondents within a period of three months from the date copy of this judgement is produced before them"

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए अधिकरण के आदेश को सही माना है। अतः उक्त आदेश के प्रकाश में अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 13.08.2009 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को संस्कृत ग्रेड द्वितीय के पद पर रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी नियमानुसार एवं उक्त न्यायिक दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किए जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य